न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : निशान्त जैन, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 13 / 2023

अपीलांट्स – *__बनाम__* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स –	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
पीराराम पुत्र अचलाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का तला, कगाउ तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर		1. जगमाल पुत्र अचलाराम 2. डालूराम पुत्र अचलाराम 3. खेमाराम पुत्र अचलाराम 4. उदाराम पुत्र अचलाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारों का तला, कगाउ तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.12.2021 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओम प्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेम कुमार प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

__निर्णय__

दिनांक : 12.06.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 16 दिनांक 13.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा कुंभारों का तला और कगाऊ के खाता संख्या 35 एवं 82 खसरा संख्या 327 / 193, 248 / 193, 249 / 193 एवं 529 / 143 कुल रकबा 122–09 बीघा भूमि खातेदारान जगमालराम उदाराम डालूराम खेमाराम पीराराम पि0 अचला कौम कम्हार सा0 देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर में अपनी खातेदारी की [illegible] विभाजन हेतु दिनांक 13.12.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्[illegible] विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। [illegible] हलका पटवारी [illegible] की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा [illegible] अपीलाधीन विभाजन [illegible]कृति आदेश क्रमांक 16 दिनांक 13.12.2021 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.05.2023 को प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक भूमि ग्राम कुम्हारों का तला के खेत खसरा संख्या 327/193, 248/193, 249/193 रकबा 94–17 बीघा तथा ग्राम कगाऊ के खेत खसरा संख्या 529/143 रकबा 27–06 बीघा में आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 2 डालूराम पढ़ा लिखा व भूमाफिया किस्म का होने से दिनांक 13.12.2021 को ग्राम पंचायत कगाऊ में प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में अपीलांट को बहला–फुसलाकर लेकर गया तथा वर्तमान कब्जा अनुसार बंटवाडा करवाने को कहा। अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 2 सगा भाई होने से विश्वास कर उसके कहे अनुसार खाली कागजों पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करवा लिये तथा अपीलांट को विश्वास दिलाया कि कब्जा–काश्त अनुसार अपना–अपना हिस्सा अलग कर देंगे। तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 2 ने हलका पटवारी के साथ मिलकर सहमति विभाजन में अपीलांट के बिना सहमति व कब्जे के विपरीत नक्शा बनाकर बंटवाडा करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन आदेश अनुसार सहखातेदारी की भूमि के पांच टुकड़े किये गये हैं जिनमें अपीलांट को सड़क से दूर हिस्सा दिया गया है जबकि रेस्पोडेंट जगमाल व खेमा ने सड़क पर अकेले हिस्सा ले लिया है और साथ ही हिस्सेदारी में भी बेतरतीब छोटे–छोटे टुकडे कर दिये हैं जिससे अपीलांट को भारी दुविधा हो रही है। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि वर्तमान में मौके पर सभी पांचों खातेदार सड़क पर आते हैं जो अपील के संलग्न परिशिष्ट–अ के अनुसार आया हुआ है। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वर्तमान कब्जा अनुसार विभाजन नहीं किया जाकर संशोधित किया है जो न्यायोचित नहीं है। लिहाजा एकतरफा धोखाधड़ी से विभाजन पत्रावली में तीन नंबर पेज पर कांट–छांट कर खेत के छोटे–छोटे 19 टुकड़े कर दिये हैं जो काश्त योग्य नहीं हैं। अपीलांट अनपढ़ है तथा बड़ा वाहन चलाता है एवं वर्ष में एकाध बार घर आता है। इस प्रकार रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट के अनपढ होने का फायदा उठाते हुए अपीला[illegible] है जिसमें भारी कानूनी वाक्याती भूल की गई है जिससे यह आदे[illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने [illegible] 10 दिन पूर्व सीमाज्ञान के नाम पर अपीलांट को घर छोड़ने की धमकी दी गई तथा पटवारी ने बताया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के कब्जे की जगह उसकी भूमि नहीं है। तब अपीलांट को संदेह होने पर हलका पटवारी द्वारा बंटवाडे के बताये नंबरों के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आधार पर नकल ली तो विभाजन का नक्शा बदलने व धोखाधड़ी की जानकारी हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने दिनांक 13.12.2021 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम कुम्हारों का तला के खेत खसरा संख्या 327 / 193, 248 / 193, 249 / 193 रकबा 94–17 बीघा तथा ग्राम कगाऊ के खेत खसरा संख्या 529 / 143 रकबा 27–06 बीघा का सहमति विभाजन हेतु इकरारनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत कगाऊ द्वारा की गई। हलका पटवारी द्वारा विभाजन इकरार की ताईद करते हुए कब्जा एवं रेकर्ड अनुसार विभाजन होना पुष्टि किया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकृत करते हुए राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु हलका पटवारी को अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील करीब 2 साल बाद प्रस्तुत की है तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.04.2023 को होने का तथ्य अभिलेखीय तौर पर गलत एवं मनगढत अंकित किया है। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील गुणावगुण पर कमजोर होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा कुंभारों का तला और कगाऊ के खाता संख्या 35 एवं 82 खसरा संख्या 327 / 193, 248 / 193, 249 / 193 एवं 529 / 143 कुल रकबा 122–09 बीघा के खातेदारान जगमालराम उदाराम डालूराम खेमाराम पीराराम पि0 अचला कौम कम्हार सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर में अपनी खातेदारी की अपीलाधीन भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 13.12.2021 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी कगाऊ की रिपोर्ट आधार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश क्रमांक 16 दिनांक 13.12.2021 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध दिनांक [illegible] को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलकर्ता के अनपढ़ एवं बड़े वाहन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

चालक होने से वर्ष में एकाध बार घर आता है जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने राजस्व अधिकारियों से मिलावट करके अभियान में उक्त खेतों का विभाजन अपीलाकर्ता के कब्जे के विपरीत करवाकर उसकी तरमीम करवा दी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को तत्समय नहीं हुई तथा अरसा 10 दिन पूर्व जब सीमाज्ञान आवेदन पर हलका पटवारी ने अपीलांट के कब्जा–काश्त में दखलअन्दाजी करते हुए अपीलांट को उसके कब्जा–काश्त से हटाने एवं बेदखल करने का प्रयास करते हुए अपीलाधीन बंटवाडा होने की बात कही तब अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव की प्रति प्राप्त की गई जो उसे 25.04.2023 को प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर ही उन्हें सर्वप्रथम गलत विभाजन की जानकारी प्राप्त हुई।

8. अपीलांट के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी उल्लेखित दस्तावेजों नकलें प्राप्त होने पर होना प्रकट किया हैं जबकि अपीलाधीन विभाजन प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार अभियान के दौरान अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडे के करीब 2 वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

10. निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(निशान्त जैन)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nishant Jain
Date: 2024.09.06 13:07:00 IST
Reason: SelfAttested